न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—38/2019 (2019/00122) वाद पत्र

उनवान

1—ईश्वर पिता धूला गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—श्रीमान् भू प्रबन्ध अधिकारी महोदय भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनिल बापना —

वादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—09.12.2021

पत्रावली का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर में स्थित साबिक आराजी संख्या 1619/7 रकबा 5 बीघा भूमि वादी के पिता धूला पिता मोडा गुर्जर के नाम जरिये पत्रावली संख्या 131 सन् 1963 के आवंटित हुई। आवंटन होने पर इन्तकाल संख्या 393 दिनांक 10.09.1969 को फैसल किया गया। आवंटन के बाद आवंटि धुला को आवंटनशुदा 5 बीघा भूमि की नपती कर पटवारी हल्का द्वारा सिपुर्द की गई। पटवारी हल्का द्वारा सिपुर्द की गई साबिक आराजी संख्या 1622 व 1623 के उत्तरी दिशा में आराजी संख्या 1619 मे से सिपूर्द की गई जिस पर आंवटन के समय से ही आवंटि धुला के जीवनकाल में एव बाद में वादी का निर्बाद रूप से शान्तिपूर्वक अधिपत्य चला आ रहा है। आवंटन के बाद आवंटी धूला जी ने उक्त आवंटित भूमि पर काफी लागत लगाकर काबिल काश्त बनाया व आवंटित रकबे के चारों तरफ डोल डलवाकर थोहरों की बाड़ भी लगवाई जो वर्तमान में मौजूद है। धूला जी के इन्तकाल के बाद वादी ने भी उक्त भूमि पर काफी खर्चा कर काबिल काश्त बनाया है जिसमे वादी हर वर्ष काश्त कर काश्त लाभ लेता आ रहा है। आवंटीत भूमि आवंटी धूला जी के आवंटन होने के बाद धूला जी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज की गई जिसका उल्लेख जमाबंदी संवत् 2022 से 2024 के खाता संख्या 558, जमाबंदी संवत 2009 से 2012 के खाता संख्या 755, जमाबंदी संवत 2036 से 2039 के खाता संख्या 613 इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2041 से 2044 के खाता संख्या 687, जमाबंदी संवत 2045 से 2048 के खाता संख्या 726 व संवत 2049 से 2052 के खाता संख्या 755 मे गैर खातेदारी अधिकार से राजस्व रेकार्ड में अंकित होती रही है। प्रमाण मे प्रमाणित प्रतियां जमाबंदी वादपत्र के साथ पेश की है। स्व. धूला जी ने अपने जीवनकाल में आवंटित भूमि आराजी नं. 1619/7 सोलह सौ उन्नीस बटा सात रकबा 5 पाँच बीघा को गैर खातेदारी अधिकार से खातेदारी अधिकार के रूप में दर्ज कराने बाबत तहसील कार्यालय रायपुर में आवेदन पत्र पेश किये, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नही और आवंटित आराजी गैर खातेदारी अधिकार से स्व० धूला जी के नाम पर दर्ज रेकार्ड चलती रही। और धूला जी का लगभग 15 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया। अन्य ग्रामों के साथ ग्राम सगरेव का भी नवीन बन्दोबस्त हुआ उस वक्त भू—प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों द्वारा जानबूझकर आवंटित आराजी नम्बर 1619/7 रकबा 5 पाँच बीघा को नवीन जमाबन्दी मे दर्ज नहीं किया और न ही साबिक आराजी नम्बर 1619/7 के नवीन नम्बर ही कायम किये और भू—प्रबन्ध के बाद वाले नवीन

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं की, लेकिन मौके पर आज तक भी कब्जा वादी का चला आ रहा है। प्रमाण में खसरा गिरदावरी व खसरा पत्रक वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। वादी को आवंटित भूमि के रकबे का किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा निरस्तीकरण नही हुआ है फिर भी साबिक आराजी नम्बर 1619/7 रकबा 5 पाँच बीघा भूमि सेटलमेन्ट के बाद के राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम पर दर्ज नहीं की गई तथा नक्शे में तरमीम नहीं होने से वादी के हकों पर विपरीत असर पड़ रहा है जिससे वादी इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी कराने का अधिकारी है कि साबिक आराजी नम्बर 1619/7 के नवीन नम्बर कायम कराये जाकर वादी के नाम पर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज कराने की अधिकारी है साथ ही नक्शा ट्रेश मे कब्जे अनुसार तरमीम कराने के भी अधिकारी हैं। अतः सादर प्रार्थना है कि वादी विरूद्व प्रतिवादीगण घोषणात्मक डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर की साबिक आराजी संख्या 1619/7 रकबा 5 बीघा जो वादी के पिता धूलाजी को आवंटित हुई थी जिसे सेटलमेन्ट के दौरान सरकारी भूमि के रूप में बिलानाम दर्ज कर दिया है जबकि वादी खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। साथ ही बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय कि जारी फरमाई जावे कि वादी को आवंटित भूमि पर से बेदखल नही करे और न वादी के विरूद्व नाजायज कब्जे की कोई कार्यवाही करे न किसी अन्य को उक्त आराजी पुनः आविटत करे।

उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2017 को निर्णय पारित हुए को वाद खारीज किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 11.05.2017 के विरूद्व श्रीमान् भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय भीलवाड़ा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने से अपील न्यायालय प्रकरण संख्या टी.ए./218/2017 दर्ज होकर दिनांक 16.10.2018 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण में वादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को प्रति प्रेषित किया जिस पर पुनः प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर वादी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 31.05.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी की ओर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी की ओर से जवाब में अंकन किया कि ग्राम सगरेव में गत भू माप के खसरा नम्बर 1619 मे से 5 बीघा भूमि नामान्तकरण संख्या 983 से वादी के नाम गैर खातेदारी से हक से दर्ज करने का आदेश दिनांक 22.11.1969 को हुआ। वादी पेमुदगी सम्बन्धी रेकार्ड स्वयं प्रस्तुत करें। धूला की मृत्यु के बाद नामान्तकरण संख्या 2151 से धूला के बजाय ईश्वर पिता धुला तुलछी बेवा धूला गुर्जर के नाम जमाबन्दी में दाखला लगा हुआ है। ग्राम सगरेव की आराजी संख्या 1619/7 रकबा 5 बीघा भूमि गैर खातेदारी हक से धुला पिता मोडा गुर्जर गैर खातेदार के नाम दर्ज रही है। मिलान क्षैत्रफल में 1619/7 के नवीन नम्बर नही बनाया गया है। वादी के नाम 1619/7 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन हुई परन्तु वर्तमान में प्रार्थी एवं वादी का कब्जा 1619 मे है या नही इसकी जांच कमीश्नर कायम करा वादी स्वयं सिद्व करावे। वादी के गत भू माप के खसरा नम्बर 1619 मे से 5 बीघा भूमि नाम पर दर्ज रेकार्ड थी यदि पूर्व में इसके नाम 5 बीघा नही रही है तथा वर्तमान में भी 1619 में से 5 बीघा भूमि नही हो तो इनके नाम दर्ज किया जाना उचित है।

वाद और प्रतिवाद के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया ग्राम सगेरव की आराजी संख्या 1619/7 रकबा 5 बीघा भूमि वादी के पिता धुला पिता मोडा गुजर के नाम आवंटित हुई इसका इन्तकाल संख्या 393 दिनांक 10.09.1969 को फैसल कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested

वक्त आवंटन से भूमि पर धुला गुजर एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र वादी का कब्जा चला आ रहा है।

जिम्मे वादी

2. आया वादग्रस्त सगरेव की साबिक आराजी संख्या 1619/7 रकबा 5 बीघा भूमि के नवीन नम्बर कायम करा खातेदार काश्तकार अपने नाम पर दर्ज करा तरमीम कराने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

3. आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिम्मे वादी

तनकीवार निर्णय

1. आया ग्राम सगेरव की आराजी संख्या 1619/7 रकबा 5 बीघा भूमि वादी के पिता धुला पिता मोडा गुजर के नाम आवंटित हुई इसका इन्तकाल संख्या 393 दिनांक 10.09.1969 को फैसल कर वक्त आवंटन से भूमि पर धुला गुजर एवं उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र वादी का कब्जा चला आ रहा है।

जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी के द्वारा इस तनकी के समर्थन में रकार्ड पेश जो नामान्तकरण 383, साबिक नक्शा ट्रेस व हाल नक्शा ट्रेस, मिलान क्षैत्रफल, साबिक जमाबन्दियां, साबिक खसरा गिरदावरी, मिलान खसरा, साबिक भू प्रबन्ध, धारा 80 सी.पी.सी. एवं आवश्यक पत्र प्रेषित किये गये जो प्रदर्श 1 से 23 तक है। प्रदर्शित रेकार्ड के अवलोकन से पाया कि पूर्व में वादीगण के पिता के नाम भूमि आवंटित हुई है और पिता के फोत होने पर वादीगणो के नाम दर्ज हुई है। और वर्तमान में तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सगरेव की बिलानाम आराजी संख्या 3547 रकबा 0.20 है0 मे से 0.10 है0 आराजी संख्या 3596 रकबा 0.55 है0 मे से 0.27 है0 एवं आराजी संख्या 3597 रकबा 0.22 है0 मे से 0.15 है0 कुल किता 3 रकबा 0.52 है0 बिलानाम भूमि पर कब्जा है इसके अतिरिक्त आराजी संख्या 3594 पर 1.68 है0 पर कब्जा होना दर्शाया गया उक्त तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर 0.52 है0 बिलानाम भूमि एवं शेष 1.68 है0 भूमि चारागाह पर कब्जा है। इसके अतिकरक्त वादी ने अपने वाद के समर्थन में बयान भी कराये गये जो शामिल पत्रावली है। उक्त तनकी को वादी द्वारा आशिंक रूप से प्रमाणित कराया गया है जिससे इस तनकी का आशिंक निर्णय बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

2. आया वादग्रस्त सगरेव की साबिक आराजी संख्या 1619/7 रकबा 5 बीघा भूमि के नवीन नम्बर कायम करा खातेदार काश्तकार अपने नाम पर दर्ज करा तरमीम कराने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार भी वादी पर था। वादी द्वारा जो रेकार्ड पेश किया गया है एवं जहां अपना कब्जा होना दर्शाया गया है वो आंशिक बिलानाम व आशिंक चारागाह पर है चारागाह भूमि आवंटन योग्य नही है। वादी के बिलानाम आराजी संख्या 3547, 3596 एवं 3597 पर जो कब्जा वादी मौके पर है उस रकबे को वादी अपने नाम करा तरमीम करा सकता है शेष कब्जा चारागाह भूमि पर है जो वादी अपनी आवंटित भूमि साबित कराने में असफल रहा है अतः इस तनकी का निर्णय आशिक बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण किया जाता है।

3. आया वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी द्वारा अपने कब्जे के सम्बन्ध जो रेकार्ड पेश किया गया है उसमे से जिन जिन बिलानाम नम्बर पर वादी ने कब्जा साबित कराया गया है उन नम्बरो पर वादी द्वारा इस तनकी को साबित कराया गया है शेष रकबा चारागाह होने से वादी इस तनकी को साबित कराने में आशिक असफल रहा है अतः इस तनकी का निर्णय भी आंशिक बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र एवं रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है और इसी के साथ वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादी के पक्ष में डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि वादी को ग्राम सगरेव की साबिक आराजी संख्या 1619 में 5 बीघा भूमि आवंटित हुई जिसके नवीन बटा नम्बर 1619/7 दर्ज हुए है किन्तु साबिक नक्शे में भी इस आवंटित रकबे की तरमीम सम्बन्धी कोई रेकार्ड पेश नही किया गया है किन्तु रेकार्ड और साक्ष्य के अनुसार जब से वादी को भूमि आवंटित हुई है वादी उसी जगह काबिज है तत्कालीन समय में वादी द्वारा आवंटन के बाद कुछ बिलानाम रकबे पर एवं कुछ चारागाह रकबे पर कब्जा होना तहसीलदार रिपोर्ट से पाया गया है। चारागाह पर जो कब्जा पाया गया है वो वादी खाते कराने का अधिकारी नही है तथा बिलानाम भूमि जो कब्जा पाया गया है उन नम्बरो को भी भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अन्य नम्बरो से कायम होना दर्शाया गया है जो त्रुटीपूर्ण है। इस प्रकरण में वादी का जिन बिलानाम नम्बरो पर कब्जा है उन नम्बरो में वादी के कब्जे अनुसार रकबे को वादी अपने नाम दर्ज कराने हेतु तनकियो को आशिंक साबित कराया है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद आंशिक स्वीकार किया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी के इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव के बैरून हल्का आबादी में अकिंत बिलानाम आराजी संख्या 3547 रकबा 0.20 है0 मे से 0.10 है0 आराजी संख्या 3596 रकबा 0.55 है0 मे से 0.27 है0 एवं आराजी संख्या 3597 रकबा 0.22 है0 मे से 0.15 है0 कुल किता 3 रकबा 0.52 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी वादी को उनके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करावे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई दखल नही करें। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9.12.2021

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–38/2019 (2019/00122) वाद पत्र

उनवान

1–ईश्वर पिता धूला गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–श्रीमान् भू प्रबन्ध अधिकारी महोदय भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी के इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव के बैरून हल्का आबादी में अकिंत बिलानाम आराजी संख्या 3547 रकबा 0.20 है0 मे से 0.10 है0 आराजी संख्या 3596 रकबा 0.55 है0 मे से 0.27 है0 एवं आराजी संख्या 3597 रकबा 0.22 है0 मे से 0.15 है0 कुल किता 3 रकबा 0.52 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी वादी को उनके हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल न तो स्वयं करे न अन्य किसी से करावे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कोई दखल नही करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 09.12.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

9.12.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.01.04 17:07:13 IST
Reason: SelfAttested